(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 27/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/56

1. नोरंगलाल गोयल पुत्र श्री केशरदेव गोयल जाति महाजन निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

..............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

............अप्रार्थी

दावा बाबत– धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 नक्शा व रिकार्ड दुरूस्ति

–:निर्णय:–

दिनांक:– 12/5/25

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम पचेरी कंला पटवार हल्का पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 अनुसार खाता सं0 186 के ख0 न0 2976/1565 रकबा 0.11 हैक्टर के खातेदार काश्तकार आवेदक अकेला खातेदार काश्तकार है। खाता विभाजन से आवेदक के हिस्सा में खसरा नम्बर 1565/3/4 रकबा 0.11 हैक्टर दिनांक 08.09.2024 को आपसी समझौता से खाता विभाजन हुआ है जिसकी नकल संलग्न आवेदन पत्र है।
2. यह कि ग्राम पचेरी कलां स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 अनुसार खाता संख्या 323 के खसरा नम्बर 1565/3 रकबा 0.3534 के खातेदार काश्तकार मुकेश कुमार पुत्र मुरलीधर जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 खातेदार काश्तकार है जिसमें से आवेदक ने 0.11 हैक्टर खरीदा है जिसका नामान्तरण संख्या 2242 खातेदार मुकेश कुमार पुत्र मुरलीधर सिंघाना के बजाय नोरंगलाल गोयल पुत्र केशवदेव गोयल जरिये 0.11 जाति महाजन निवासी पचेरी खुर्द खातेदार स्वीकार नामान्तरण संख्या 2242 दिनांक 17.05.2018 अनुसार खाता विभाजन नोरंगलाल गोयल पुत्र केशवदेव गोयल निवासी पचेरी खुर्द खसरा नम्बर 1565/3/4 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी स्वीकार हुआ है उसी अनुसार आवेदक कब्जाकाश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

3. यह कि खाता विभाजन में नक्शा तरमीम जिसमें उत्तर दिशा में आम सडक है जिसका नक्शा में आवेदक का हिस्सा 1565/3/4 पूर्व दिशा में कायम कर आवेदक का आम सड़क पर जाने के लिए आवेदक का हिस्सा से पश्चिम की ओर नक्शा कायम कर तदानुसार खाता विभाजन प्रस्ताव में बनाया गया था जिसमें सभी खातेदारो के हस्ताक्षर करवाये विभाजन प्रस्ताव अनुसार नक्शा राजस्व रिकार्ड में तरमीम नही किया गया जिसमें आवेदक राजस्व रिकार्ड में नक्शा गलत दर्ज किया गया है जिससे आवेदक को आम सडक पर जाने के लिए रास्ता कायम किया गया था अब नक्शा गलत बन जाने से आवेदक को अपने खातेदारी भूमि जो नया खसरा बनाया है उसमें खसरा नम्बर 2976/1565 बनाया है वह गलत नक्शा दर्ज कर दिया है जिसकी नकल संलग्न आवेदन पत्र है।

4. यह कि राजस्व रिकार्ड में आम सडक से दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 2976/1565 रकबा 0.11 हैक्टर आवेदक की खातेदारी भूमि है जिसमें आम रास्ता कायम किया था जिससे आवेदक की खातेदार भूमि का रास्ता आम सड़क तक का नक्शा तरमीम किया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने आवेदक का रास्ता खाता विभाजन के विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड नही बनाया गया है। आवेदक का रास्ता आम सडक तक नही होने से राजस्व रिकार्ड में आम सडक से आने जाने के लिए आवेदक का रास्ता कायम करने के लिए विभाजन प्रस्ताव अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाने हेतु यह आवेदक पत्र माननीय श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

5. यह कि आधार विवाद आवेदक पत्र में हाल जमाबन्दी जिसमें आवेदक के खातेदारी भूमि से आम सडक तक आवागमन है कोई विवाद नही है तथा विभाजन प्रस्ताव में आवेदक की खातेदारी भूमि से आम सड़क तक राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से ओर विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारी में गलत दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खसरा नम्बर 2976/1565 रकबा 0.11 हैक्टर तक रास्ता को दुरूस्त किया जाने हेतु यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में अन्दर मियाद पेश है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

कि वाके ग्राम पचेरी कंला पटवार हल्का पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 के हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 अनुसार खाता सं0 186 के ख0 न0 2976/1565 रकबा 0.11 हैक्टर आम सड़क तक विभाजन प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया है वही रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने का आदेश देने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:15 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथींगण की तल[illegible] अप्राथी सं. 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तह[illegible] होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एवं तहसीलदार बुहाना से [illegible] एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 49 दिना[illegible] 29.01.2025 के द्वारा भिजवाई गई। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 997 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा 136 एल आर एक्ट मे विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली हुई रिपोर्ट तहसीलदार का

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपस्थित किया गया प्रार्थीगण ने आपसी समझौता से खाता विभाजन 08.09.2024 के अनुसार दुरुस्ती हेतु निवेदन किया सभी प्रभावित पक्षकारों की तरफ से वकील प्रार्थी उपस्थित है किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

प्रार्थना पत्र वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 186, 323 जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 नक्शा ट्रेस, 2342 दिनांक 17.05.201 एवं नामान्तरण संख्या 2242 किश्तवार पेश किए गए।

-:आदेश:-

" न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी कलां पटवार हल्का पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 अनुसार खाता सं0 186 के ख0 न0 2976/1565 रकबा 0.11 हैक्टर आम सड़क तक विभाजन प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया है वही रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर नक्शा दुरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 997 दिनांक 08.04.2025 तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श "ब" के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख. न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो।"

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 12/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:15 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

ठासीन अधिकारीः— सुमन देवी II, आर.ए.एस.

जस्व वाद सं.— 27/2025 जीसीएमएस **नम्बर :— 2025/56**

नौरगलाल आदि **बनाम** राज0 सरकार वगै0

प्रार्थना पत्र बाबत— धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 नक्शा व रिकार्ड दुरूस्ति

—:निर्णयः—

वादी की ओर से **श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट** की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस प्रार्थना पत्र को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी कंला पटवार हल्का पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 अनुसार खाता सं0 186 के ख0 न0 2976/1565 रकबा 0.11 हैक्टर आम सड़क तक विभाजन प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया है वही रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर नक्शा दुरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 997 दिनांक 08.04.2025 तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श ''ब'' के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख. न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो।''

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12/5/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:05:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना